



कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांक : न.नि.अ/2017-18/एम.बी./ 534

दिनांक :- 14/8/17

✓ श्री सरदार मंजीत सिंह

पुत्र श्री मानक सिंह

निवासी - श्री मानक कॉम्प्लेक्स,

त्रिलोक नगर के सामने

आशागंज, रोड, अजमेर।

विषय :- एक आवासीय भूखण्ड/सम्पत्ति थोक मालियान खसरा नम्बर 7221 का भाग है जो वाकै नई बस्ती भजनगंज, तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1278.57 वर्गमीटर पर आवासीय मानचित्र स्वीकृति हेतु अद्वैय प्रमाण पत्र बाबत ।

प्रसंग :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 04.05.2017

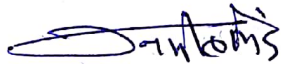
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र पर निम्न शर्तों के साथ बहुमंजिला आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु अद्वैय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

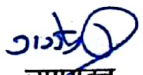
01. किसी भी न्यायालय अथवा बाद में या अन्यथा रूप से कि भी प्रकार के हक के सृजन की कोटि में इस भूखण्ड/मकान के स्वामित्व के साक्ष्य के दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
02. स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण किये जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को निगम द्वारा ध्वस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा उक्त कार्यवाही पर किया गया। समस्त व्यय आपको ही वहन करना होगा।
03. संलग्न मानचित्र अनुसार Ground Floor + First Floor + Second Floor + Third Floor + Fourth Floor (15 मीटर ऊँचाई) तक निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।
04. भूतल का निर्माण होने पर नगर निगम को सूचित करना होगा एवं नगर निगम द्वारा जॉच उपरान्त निर्माण सही पाये जाने पर अग्रिम निर्माण किया जा सकेगा।
05. भवन निर्माण के स्ट्रक्चरल डिजाइन की जिम्मेदारी आपके द्वारा नियुक्त वास्तुविद् की होगी। नगर निगम किसी भी स्थिति में इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा। निर्माण कार्य अधिकृत वास्तुविद्/अभियंता की देख रेख में करवाया जाना होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर संबंधित वास्तुविद् व स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
06. भवन की संरचना भूकम्परोधी होना आवश्यक है इस संबंध में स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
07. स्वीकृत मानचित्र में दर्शित इनफार्मल फॉर्मरियल का निर्माण कर निगम को सूचित करना होगा। तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा जनसाथी रोजगार योजना में निर्धारित नियमों/शर्तों की पालना करनी होगी।
08. पर्यावरण की दृष्टि से मानचित्र में दर्शाये पेड़ लगाने होंगे। भूखण्ड पर प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये कम से कम वृक्ष के अनुपात में 6 मीटर से अधिक ऊँचाई ग्रहण वाले वृक्ष लगाने होंगे।
09. समय-समय पर राज्य सरकार नगर निगम द्वारा जारी नियमों/आदेशों की पालना करनी होगी।
10. आवेदक/प्रार्थी आवेदित भूमि के भवन निर्माण मानचित्र के संबंध में सभी प्रकार के शुल्क देय राशि नियमानुसार जमा करवाएगा तथा भविष्य में यदि कोई राशि बकाया निकलती है, तो आवेदक उक्त बकाया राशि जमा कराने हेतु उत्तरदायी/बाध्य होगा।

11. आर्किटेक्ट को हिदायत दी जाती है कि नक्शा स्वीकृत करने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार नक्शे की जांच कर नक्शा स्वीकृत करें गलत नक्शा स्वीकृत करने पर आर्किटेक्ट के खिलाफ कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
12. प्रार्थी को अद्वैय प्रमाण-पत्र जारी करने की दिनांक से पन्द्रह दिवस में सम्बन्धित आर्किटेक्ट से नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक होगा। बाद मियाद गुजरने के बाद जारी अद्वैय प्रमाण-पत्र शून्य माना जायेगा।
13. आप द्वारा नगर निगम में रसीद संख्या 8384/9051, 8385/9051, 8386/9051 पुस्तक संख्या, दिनांक 14.08.2017 द्वारा राशि निगम कोष में जमा करा दी हैं :-

(1)	अनुज्ञा शुल्क	:-	38358/-
(2)	मलबा शुल्क	:-	3000/-
(3)	विकास शुल्क	:-	41800/-
(4)	अधिवास शुल्क	:-	16720/-
(5)	वर्षा जल संग्रहण शुल्क	:-	100000/-
(6)	Betterment Levy	:-	297023/-
	कुल राशि	:-	496901/- रुपये

आवेदक द्वारा श्रम विभाग में श्रम कर की राशि डीडी नं. 115142 दिनांक 14.08.17 को राशि 1,35,660/-रु. जमा करा कर प्राप्त की रसीद प्रस्तुत कर दी है।




उपायुक्त
नगर निगम, अजमेर